

कार्य अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

इण्डिया हुल्स स्कूल कार्पोरेशन प्रा. लि. बनाम विकास शर्मा

प्रकरण संख्या : 383/2022 (प्रा. पत्र धारा 14 सिक्वोरिटॉइजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.03.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी दिवतीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी दिवतीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेसी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अधूरा है।</p> <p>अतः धारा 14 सिक्वोरिटॉइजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी दिवतीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">प्र. जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	